राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 6536/2022

रामस्वरूप मीणा **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, माध्यमिक शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
3. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, सीकर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 30.12.2022
आदेश की दिनांक : 17.08.2023

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : स्वयं
प्रत्यर्थीगण की ओर से : श्री गौरव सिंह, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
लेखराज तोसावडा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने यह अनुतोष चाहा है कि अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 05.05.2016 को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जावे तथा प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जावें कि अनुसूचित जनजाति वर्ग की वरिष्ठता सूची में नाम जोडते हुए अपीलार्थी को अध्यापक ग्रेड द्वितीय के पद पर रिक्ति वर्ष 1984–85 के विरूद्ध पदोन्नति प्रदान की जावे एवं समस्त पारिणामिक लाभों सहित शेष राशि पर 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज का भुगतान किए जाने के आदेश फरमाए जावें।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :–

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए यह तर्क दिया है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति अध्यापक ग्रेड तृतीय के पद पर दिनांक 01.12.1971 को हुई थी और उसे नियुक्ति के समय अनुसूचित जनजाति वर्ग

में दर्शाया गया है जबकि उसका नाम सामान्य वर्ग में विभाग द्वारा जोडा गया है। अपीलार्थी ने उक्त संशोधन के संबंध में विभाग से प्रार्थना की कि अपीलार्थी ने उक्त संबंध में अधिकरण के समक्ष अपील संख्या 2554/2001 प्रस्तुत की, जिसके क्रम में माननीय अधिकरण ने दिनांक 03.07.2014 को आदेश पारित करते हुए विभाग को निर्देश दिए कि अपीलार्थी का नाम अनुसूचित जनजाति वर्ग में जोड़ते हुए योग्य पाए जाने पर पदोन्नति प्रदान की जावे और उक्त मामले को दो माह के अंदर निस्तारित करने का भी आदेश दिया। परंतु विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई। अपीलार्थी ने उक्त संबंध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 261/2018 प्रस्तुत की और माननीय न्यायालय ने दिनांक 15.12.2022 को आदेश पारित करते हुए अधिकरण के समक्ष अपील प्रस्तुत करने हेतु आदेश किया और अधिकरण को 90 दिवस के अंदर निस्तारित करने का निर्देशित किया, जिसकी पालना में अपीलार्थी ने अपील प्रस्तुत करते हुए यह प्रार्थना की है कि अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 05.05.2016 को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जावे तथा प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जावें कि अनुसूचित जनजाति वर्ग की वरिष्ठता सूची में नाम जोडते हुए अपीलार्थी को अध्यापक ग्रेड द्वितीय के पद पर रिक्ति वर्ष 1984–85 के विरूद्ध पदोन्नति प्रदान की जावे एवं समस्त पारिणामिक लाभों सहित शेष राशि पर 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज का भुगतान किए जाने के आदेश फरमाए जावें।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुए यह प्रतिवाद किया है कि अपीलार्थी से कनिष्ठ श्री बजरंग सिंह की प्रथम नियुक्ति दिनांक 05.10.1966 है और अपीलार्थी की नियुक्ति दिनांक 01.12.1971 है। इस प्रकार अपीलार्थी श्री बजरंग सिंह से कनिष्ठ है और श्री बजरंग सिंह के समान पदोन्नति परिलाभ प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अपीलार्थी को अनुसूचित जनजाति का अभ्यर्थी मानते हुए उससे कनिष्ठ को जब परिलाभ प्रदान किए गए हैं, उसी के अनुरूप अपीलार्थी को भी समस्त पारिणामिक लाभ प्रदान किए जाने की जो मांग की है, इस क्रम में जारी आलोच्य आदेश दिनांक 05.05.2016 में स्पष्ट रूप से वर्णित किया गया है कि *''दिनांक 31.03.1991 तक सीकर जिले में अपीलार्थी से कनिष्ठ किसी भी अनुसूचित जनजाति वर्ग के शारीरिक शिक्षक की वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक के पद पर पदोन्नति नहीं हुई है।''* इस प्रकार अपीलार्थी दिनांक 31.03.1991 से पूर्व किसी भी कनिष्ठ को पदोन्नति प्रदान नहीं किए जाने के

कारण पदोन्नति का पात्र नहीं था और अपीलार्थी को वर्ष 1998–99 में पदोन्नति की पात्रता होने के कारण वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक के पद पर पदोन्नति प्रदान की गई और अपीलार्थी से कनिष्ठ किसी भी अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी को वर्ष 1998–99 से पूर्व वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक के पद पर पदोन्नति प्रदान नहीं की गई है। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज फरमाई जावे।

हमने उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त अभिलेखों का अवलोकन कर मनन किया गया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति अध्यापक ग्रेड तृतीय के पद पर दिनांक 01.12.1971 को हुई थी और उसे नियुक्ति के समय उसका नाम अनुसूचित जनजाति वर्ग में न दर्शाते हुए सामान्य वर्ग में दर्शाया गया। अपीलार्थी द्वारा उक्त संशोधन के संबंध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय एवं अधिकरण के समक्ष मामला प्रस्तुत किया गया, जिसके आदेश की पालना में विभाग द्वारा उचित कार्यवाही नहीं की गई। जहां तक आदेश दिनांक 05.05.2016 के द्वारा उचित कार्यवाही न किए जाने के फलस्वरूप अपास्त किए जाने का एवं अपीलार्थी को रिक्ति वर्ष 1984–85 के विरूद्ध अध्यापक ग्रेड द्वितीय के पद पर पदोन्नति प्रदान किए जाने का प्रश्न है, हम प्रत्यर्थी विभाग के इस तर्क से सहमत हैं कि श्री बजरंग सिंह की प्रथम नियुक्ति दिनांक 05.10.1966 है और अपीलार्थी की नियुक्ति दिनांक 01.12.1971 है। इस प्रकार अपीलार्थी श्री बजरंग सिंह से कनिष्ठ है और श्री बजरंग सिंह के समान पदोन्नति परिलाभ प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है और आलोच्य आदेश दिनांक 05.05.2016 में स्पष्ट रूप से वर्णित किया गया है कि *''दिनांक 31.03.1991 तक सीकर जिले में अपीलार्थी से कनिष्ठ किसी भी अनुसूचित जनजाति वर्ग के शारीरिक शिक्षक की वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक के पद पर पदोन्नति नहीं हुई है।''* इस प्रकार अपीलार्थी दिनांक 31.03.1991 से पूर्व किसी भी कनिष्ठ को पदोन्नति प्रदान नहीं किए जाने के कारण पदोन्नति का पात्र नहीं था और अपीलार्थी को वर्ष 1998–99 में पदोन्नति की पात्रता होने के कारण वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक के पद पर पदोन्नति प्रदान की गई, जो नियमानुसार उचित प्रतीत होता है। इस प्रकार अपीलार्थी के उक्त तर्कों में कोई बल न होने के कारण अपीलार्थी की अपील खारिज किए जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के एतद् द्वारा खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावडा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य